न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाडा
// संशोधित आदेश //

जावक क/88/मु0न्या0मजि0/2021 **छिन्दवाडा, दिनांक 04.09.2021**

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री पत्र क्रमांक डी/4247/II–15–18/2001 जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021 के साथ संलग्न अधिसूचना क्रमांक 17(ई)43/2009/21–ब(एक)/3240/2021 भोपाल, दिनांक 28.08.2021 के परिप्रेक्ष्य में एवं संबंधित मजिस्ट्रेटों को प्राप्त संक्षिप्त विचारण की शक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/71/का0वि0/21 छिन्दवाड़ा, दिनांक 31/07/2021 में संशोधन कर न्यायिक स्थापना पांढुर्णा जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्यों का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

तहसील न्यायालय – सौंसर			
1.	सुश्री एकता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	–	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।
तहसील न्यायालय – पांढुर्णा			
2.	श्री नीरज कुमार प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पांढुर्णा	1–पांढुर्णा 2–ग्राम न्यायालय, पांढुर्णा	1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र। (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा अधिकृत किया गया हो, को छोड़कर) 2. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के **रजिस्ट्री पत्र क्रमांक डी/4247/II–15–18/2001 जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021 तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारीअधिसूचना 17(ई)43/2009/21–ब(एक)/3240/2021 के पालन में ग्राम न्यायालय पांढुर्णा** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण। 3. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तथा भा.दं.सं. की धारा 354, 354 क लगायत घ, अध्याय 20 में परिभाषित विवाह संबंधी

			अपराध, धारा 498ए, 509, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के प्रकरण। 4. खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध से संबंधित खादय सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र। **(धारा 59(iii), 59(iv) एवं न्यायनिर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार नियम 5 खादय सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के अपराधों को छोड़कर)** 5. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1945 से संबंधित परिवाद पत्र। **(फैक्ट्री अधिनियम से संबंधित उत्पन्न विवादों और श्रम कानूनों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर)** 6. आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा के क्षेत्रांतर्गत पीसीपीएनडीटी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध संबंधित प्रकरण। 8. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रांतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा से संबंधित अपराध संबंधित प्रकरण। 9. व्यापम स्केम मैटर्स और उससे संलग्न मैटर्स **(सी.बी.आई एस.टी.एफ. द्वारा अनुसंधान उपरांत प्रस्तुत समस्त प्रकरणों को छोड़कर)** 10. उक्त आरक्षी केन्द्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नगरपालिका/नगरपंचायत से उद्भूत आपराधिक प्रकरण का निराकरण करना। 11. उक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं अन्य वन विधियों से संबंधित अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। **(नेशनल पार्क क्षेत्र से उद्भूत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम/Special Tiger Strike Force Units के द्वारा पंजीकृत आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 12. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत खान एवं खनिज अधिनियमों से उद्भूत अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र। 13. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत अध्याय-9 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण।

			14. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय तथा विशेष विधियों से उद्भूत दाण्डिक प्रकरण जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य किसी स्थान पर उल्लेख नहीं है, का विचारण करना। 15. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिन्दवाड़ा के द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी। 16. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को सूचित कर अपने थाना क्षेत्रांतर्गत चलित न्यायालय लगाना।
3.	श्री प्रियांशु पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाण्ढुर्णा	--//--	1. सम्पूर्ण आबकारी वृत्त पाढुंर्णा एवं आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा से उदभूत म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 50 बल्क लीटर या उससे कम शराब के दांडिक प्रकरणों का विचारण करना। 2. थाना पांढुर्णा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका विचारण संक्षिप्त विचारण प्रकिया के अनुसार किया जाये, के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र। 3. आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा के क्षेत्रांतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम तथा पैमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. आरक्षी केन्द्र पांढुर्णा के क्षेत्रांतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों से संबंधित समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित दांडिक प्रकरणों की सुनवायी।

04-09-21

(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट –अ

धारा–164 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत साक्षियों एवं अभियुक्तगण के कथन / संस्वीकृतियां, निम्नानुसार उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से विवेचना अधिकारी या आरक्षी केन्द्र के भारसाधक अधिकारी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुरूप उनके समक्ष उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लेख की जावेगी।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :–

क	आरक्षी केंद्र का नाम	न्या0 मजि0 का नाम जो कथन लेख करेंगे।	न्या0 मजि0 का नाम जो कॉलम 2 में वर्णित न्या0मजि0 के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे।	न्या0 मजि0 का नाम जो कॉलम 3 में वर्णित न्या0मजि0 के उपस्थित न रहने की स्थिति में कथन लेख करेंगे
1	थाना सौंसर, लोधीखेड़ा	श्रीमती रूपाली उईके,	सुश्री एकता ठाकुर,	श्री प्रियांशु पाण्डे,
17	थाना मोहगांव, बिछुआ	श्री पुष्पराज सिंह उईके,	सुश्री एकता ठाकुर,	श्री प्रियांशु पाण्डे,
18	पाढुंर्णा	श्री प्रियांशु पाण्डे,	सुश्री एकता ठाकुर,	श्रीमती रूपाली उईके,

<u>नोट–</u> . सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण में मामला विचारण हेतु उपार्पित किया जाता है अतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों में धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत साक्षी के कथन एवं अभियुक्त की संस्वीकृति कमशः **तहसील न्यायालय तामिया एवं हर्रई** में पीठासीन अधिकारी द्वारा ही लिये जायेंगे एवं पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ववर्णित आदेश के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा कथन / संस्वीकृति अंकित किये जायेंगे।

04-09-2021

(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट –ब

कॉलम नंबर–1 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर–2 में उल्लेखित, न्यायिक अधिकारी द्वारा तथा कॉलम नंबर–2 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कॉलम नंबर–3 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी द्वारा अत्यावश्यक कार्य का संपादन किया जाएगा।

यही कम अनुपस्थिति की दशा में आगे कमानुसार जारी रहेगा :–

क.	कॉलम नं0–1	कॉलम नं0–2	कॉलम नं0–3
1.	श्री पुष्पराज सिंह उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	श्रीमती रूपाली उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	सुश्री एकता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर
2.	श्रीमती रूपाली उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	श्री पुष्पराज सिंह उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	सुश्री एकता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर
3.	सुश्री एकता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	श्रीमती रूपाली उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर	श्री पुष्पराज सिंह उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर
4.	श्री नीरज कुमार प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा,	श्री प्रियांशु पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा,	श्रीमती रूपाली उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर
5.	श्री प्रियांशु पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा,	श्री नीरज कुमार प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा,	श्री पुष्पराज सिंह उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर

04-09-21
(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाडा, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा म.प्र.।
3. माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय, सौंसर जिला छिंदवाड़ा म.प्र.।
4. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सहा. लोक अभियोजन अधिकारी पांढुर्णा, सौंसर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ छिन्दवाड़ा, पांढुर्णा एवं सौंसर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी अधिकारी/सिस्टर ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर पूर्व वर्णित अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने बाबत् प्रेषित।

04-09-21
(पवन कुमार पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
छिन्दवाडा